निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

करण संख्या 16/2024
दायरा दिनांकः—11.06.2024
निर्णय दिनांकः— 21.8.24

उनवान

भंवरलाल आयु 74 वर्ष पुत्र रामशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सोलतपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः— 21.8.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री सोमेश कुमार गालव — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल सोलतपुरा पटवार मण्डल कडैयावन तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में अन्तिम चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2023) से स्थाई में खाता संख्या 44 में कृषि आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 0.1138 है0 तनहा खातेदारी में भूमि स्थित है। जो प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी चली आ रही है जिस पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। मद नम्बर 1 में वर्णित खसरा नम्बर 28 जो कि खसरा नम्बर 27 एवं प्रार्थी के खसरा नम्बर 21 से लगवा पश्चिम दिशा में प्रार्थी के कब्जे काश्त में निर्बाध रूप से चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड ऑलाईन करते समय हल्का पटवारी द्वारा सहवन से राजस्व नक्शे में प्रार्थी के खसरा नम्बर 28 के स्थान पर खसरा नम्बर 28/1 एवं खसरा नम्बर 28/1 के स्थान पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 28 गलत दर्ज हो गया है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। मद नम्बर 1 में वर्णित प्रार्थी के खसरा नम्बर 28 खसरा नम्बर 27 एवं प्रार्थी के खसरा नम्बर 21 से लगवा पश्चिम दिशा में स्थित है जिस पर ही प्रार्थी निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वाके माल सोलतपुरा तहसील छबडा में स्थित होने से श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

प्रार्थी का प्रार्थना प[त्र र]जिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा [...] नकल जमाबन्दी ग्राम सोलतपुरा सम्वत् 2073—76 खाता संख्या 44 [...] नक्शा ट्रेस ग्राम सोलतपुरा फोटो प्रति आधार कार्ड भंवरलाल पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:52 IST
Reason: SelfAttested

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थी के तनहा खातेदारी की है जो प्रार्थी के नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है खसरा नम्बर 28 खसरा नम्बर एवं प्रार्थी के खसरा नम्बर 21 से लगवा पश्चिम दिशा में प्रार्थी के कब्जे काश्त में चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन करते समय सहवन से राजस्व नक्शे में प्रार्थी के खसरा नम्बर 28 के स्थान पर खसरा नम्बर 28/1 एवं खसरा नम्बर 28/1 के स्थान पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 28 गलत दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त करवाना आवश्यक है खसरा नम्बर 28 पर प्रार्थी ही काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 28/1 के स्थान पर 28 एवं खसरा नम्बर 28 के स्थान पर 28/1 दर्ज कर दुरूस्त किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम सोलतपुरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या के अनुसार खसरा नम्बर 28 रकबा 0.1138 प्रार्थी भंवरलाल पुत्र रामशंकर ब्राहम्ण के खातेदारी में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि खसरा नम्बर 28 प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है जो नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के खसरा नम्बर 28/1 दर्ज कर दिया गया है प्रार्थी नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर को दुरूस्त कराना चाहता है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक राजस्व नक्शा ऑनलाईन में प्रार्थी का खसरा नम्बर 28 रकबा 0.1138 हैक्टयर ग्राम कैशोली के कांकाड पर दर्शाया गया है जिस पर प्रार्थी का कब्जा नही है मुताबिक मौके कब्जा काश्त अनुसार प्रार्थी स्वंय के खसरा नम्बर 21 रकबा 2.6937 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 27 की पश्चिम मेड के सहारे कब्जे काश्त है जो वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज है एवं काश्त करता हुआ चला आ रहा है। डिजीटल नक्शा सीट प्रथम अनुसार पेंसिली एवं लाल स्याही की तरमीम भी मौके अनुसार खसरा नम्बर 21 एवं खसरा नम्बर 27 की पश्चिम मेंड के सहारे की गई परन्तु सहवन से तत्कालिक पटवारी रामसिंह सहरिया द्वारा वन–टु–वन मेपिंग के समय खसरा नम्बर 28 के स्थान पर खसरा नम्बर 28/1 एवं खसरा नम्बर 28/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 28 दर्ज करवा दिया गया। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 28 के स्थान पर 28/1 एवं खसरा नम्बर 28/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 28 दर्ज करने की अनुशंषा की है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:52 IST
Reason: SelfAttested

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम सोलतपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 28 के स्थान पर 28/1 एवं खसरा नम्बर 28/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 28 राजस्व नक्शा में दर्ज करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा